




फर्द अहकाम

श्याोनारायण

वनाम वदाम देवी वगै०

न्यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर
केस सं०५२/ 2025

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.04.2025	<p>अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण में केवियट दर्ज है। केवियट कर्ता की तलवी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 02.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर </p>	
	2.5.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपखण्ड अधिवक्ता प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में दावा नहीं किया है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को Not Press करने की अनुमति नहीं गयी। अधिवक्ता प्रार्थी के विवेक पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RPA Not Press के माध्यम पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदार श्रीकर नंबर ले काम श्रीकर शक्ति दत्त श्री</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>	<p>None process</p> <p></p>